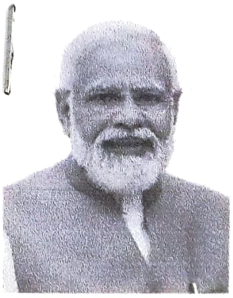

श्री नरेन्द्रमोदी
माननीय प्रधानमंत्री

प्रधान मंत्री
आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana

श्री हेमंत सोरेन माननीय
माननीय मुख्यमंत्री

नगर पंचायत, खूँटी के जमुवादाग में PMAY (U)-AHP अर्न्तगत निर्माणाधीन आवास का आवंटन – पत्र

सेवा में,

....

....

....

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत नगर पंचायत खूँटी के जमुवादाग में निर्माणाधीन आवासीय परिसर में आवास के आंवटन के संबंध में।

प्रसंगः– आवास आवंटन हेतु विज्ञापन संख्या –.............................. एंव आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन संख्या– .... । Survey ID:

महाशय,

उपरोक्त प्रसांगिक विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत खूँटी के जमुवादाग में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक ''भागीदारी में किफायती आवास'' आवास अंतर्गत कमजोर आय वर्ग श्रेणी हेतु निर्माणाधीन बहुमंजिलीय आवासीय परिसर में आवासों के आवंटन हेतु दिनांक .... को सम्पन्न लॉटरी में आपको ब्लॉक सं0– ....के .... मंजिल पर आवास संख्या –.................. आवंटित की जाती है। आवंटित आवास का कुल Carpet Area लगभग 30 वर्ग मी0 है।

आपको उक्त आवास केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के आलोक में आवंटित की जा रही है।

2. निर्मित किए जानेवाले आवास का मूल्य रू0 5.98 (पाँच लाख अनठानब्बे हजार) रूपये मात्र है।

3. उक्त आवास हेतु केन्द्र एंव राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि कुल रू0 2.50 (दो लाख पचास हजार) रूपये मात्र के पश्चात् कुल रू0 3.48 (तीन लाख अड़तालीस हजार) रूपये मात्र अंशदान के रूप में देय होगा।

4. लाभुक अंशदान की राशि निम्नवत देय होगी।

CITY MANAGER
NAGAR PANCHYAT KHUNTI

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, खूँटी

क्र0	किस्त	विवरण	आवंटित द्वारा किस्त भुगतान की राशि
	सुरक्षा जमा राशि (Secruity Deposit)		रू0 5000/–
1			रू0 20,000/– अग्रिम राशि
2	प्रथम किस्त	आंवटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर	
3	द्वितीय किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 25% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –रू0 25000) का 25% राशि=रू0 80,750/–
4	तृतीय किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 50% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –रू0 25000) का 25% राशि=रू0 80,750/–
5	चतुर्थ किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –रू0 25000) का 25% राशि=रू0 80,750/–
6	पंचत किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –रू0 25000) का 25% राशि=रू0 80,750/–..........

5. आवास आवंटन के प्रावधान

5.1 आवास को आवंटन पूर्ण स्वामित्व के आधार पर किया जा रहा है।

5.2 आवास एंव सन्निहित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षो के Lock in period के बाद या आपके द्वारा वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त होने के बाद, जो बाद में हो, दिया जाएगा।

5.3 आवंटित आवास प्रथम 15 वर्षो तक अहस्तांतरणीय होगा, किन्तु उक्त आवंटित आवास आंवटी के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम आप के मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।

5.4 आंवटी द्वारा आवास ऋण का ससमय भुगतान नहीं करने की स्थिति मे आवास का आंवटन रद्द कर दी जाएगी।

5.5 आवास आवंटी हेतु विहित प्रपत्र में दी गई जानकारी गलत साबित होने पर को आवंटित आवास का आंवटन रद्द कर दिया जाएगा तथा आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5.6 आवंटी आवास की पहली किश्त का भुगतान तय सीमा के अन्दर नहीं किए जाने पर आपके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण अग्रिम राशि को जब्त कर ली जाएगी एंव उक्त आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

5.7 आवास आंवटन के 30 दिनों के अन्दर अग्रिम राशि रू0 20000/– बैंकर्स चेक/डी0डी0/RTGS/NEFT के माध्यम से .... में जमा करानी .... होगी। तत्पश्चात् आवास का "**विकय के लिए** एकरारनामा **(Agreement of Sell)** की मूल प्रति आपको निकाय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपके द्वारा आपको आवंटित आवास के लाभुक अंशदान के भुगतान हेतु बैंक से ऋण लिया जाएगा तो "**विकय के लिए** एकरारनामा **(Agreement of Sell)** सीधे संबंधित बैंक को उपलब्ध करा दी जाएगी।

5.8 आवासों से संबंधित समय– समय पर लागू होने वाले विभिन्न करों का भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से समय –समय पर करना अनिवार्य होगा।

CITY MANAGER
NAGAR PANCHYAT KHUNTI

Dipriya
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, खूँटी

5.9 आंवटित आवास का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। आवंटी अपने अनुसार आवंटित आवास का स्वरूप बदल नहीं सकते है।

5.10 आवंटित आवास के बाह्य दिवारों के बाहरी भाग में अपने अनुसार रंग रोगन नहीं कर सकते है।

5.11 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्त के संशोधन का सर्वाधिकार नगर विकास एंव आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को निहित होगा, जो सभी आंवटियों को मान्य होंगे।

5.12 आवंटी आवास के आवंटन से आवास का कब्जा देने के मध्य वर्तमान स्थान/पता में परिर्वतन की जाती है तो इसकी सूचना अविलंब निकाय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्यथा आपके नये स्थान/पता के अभाव में आपको निकाय द्वारा वांछित जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने में होने वाली परेशानी एंव वांछित जानकारी/सूचना के अभाव में आपको होने वाले हानि के जिम्मेदार आप स्वंय होंगे।

5.13 योजना के वास्तविक कियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में न्युनानुपात परिर्वतन संभव है, जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आपको स्वीकार करना होगा।

5.14 आवास आवंटन से संबंधित नगर विकास एंव आवास विभाग का निर्णय अंतिम एंव सर्वमान्य होगा।

5.15 किसी भी विवाद की दशा में .... नगर .... क्षेत्र अंतर्गत सक्षम न्यायालय होगा।

5.16 आवासीय परिसर मे व्यवसायिक गतिविधियों यथा दुकान, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के माध्यम से राजस्व संग्रहण का कार्य Resident welfare Association द्वारा किया जाएगा। संग्रहित राजस्व के माध्यम से आवासीय परिसर का रख–रखाव किया जाएगा।

आवास आवंटि का नाम एंव हस्ताक्षर

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत खूँटी।

ITY MANAGER
GAR PANCHYAT KHUNTI

Bipriya
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खूँटी